न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

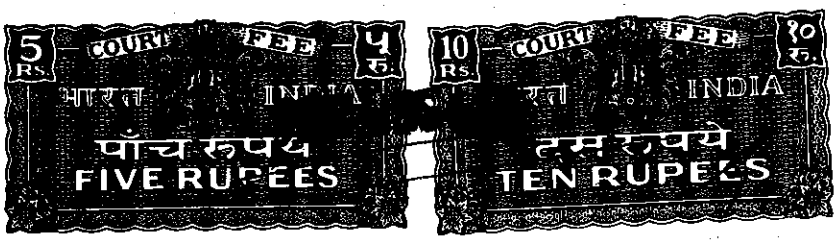

R 1720-III/2006

रामनिवास उर्मलिया तनय सीताराम उर्मलिया उम्र 70 वर्ष,

साकिन चोरहटा, तह. हुजूर, जिला-रीवा म.प्र.

---- निगराकार / अपेलेन्ट

बनाम

मालकन्द देव तनय धुरन्धर राम तिवारी, निवासी ग्राम चोरहटा

तह. हुजूर, जिला-रीवा म.प्र. -- गैरनिगरानीकर्ता / रेस्पो.

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश आयुक्त महोदय

रीवा संभाग रीवा द्वारा राजस्व प्र.क्र. 345/

05-06 में पारित आदेश दि. 13.9.06

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं.

सन् 1959 ई.

श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय एडवोकेट द्वारा आज दि. 20-9-06 को प्रस्तुत।

अवर सचिव 20/9/06

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि अपीलार्थी निगराकार द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर के समक्ष अपनी आराजी ख.क्र. 436 रकबा 0.10 ए. के सीमांकन बावत आवेदन पत्र दिया। उक्त आवेदन पत्र पर तहसीलदार, तह. हुजूर द्वारा सीमांकन किये जाने का आदेश दिया गया तथा मौके से सीमांकन करने के बाद पटवारी द्वारा दी गई रिपोर्ट व पंचनामे तथा तहसी... समक्ष कार्यवाही के पश्चात दि. 22.7.2...

अखिलेश कुमार पाण्डेय एड.

20-9-06

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 1720–दो/2006 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रामनिवास उर्मिलिया विरूद्ध मालकन्द देव	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–11–2016	यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 345/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर के समक्ष आ0क0 436 के सीमांकन के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आवेदन पत्र के कम में पटवारी चोरहटा द्वारा दिनांक 22.6.2000 को सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक को सुनने के पश्चात दिनांक 29.7.2000 को तहसीलदार द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गयी। सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि के पश्चात आवेदक द्वारा सीमांकित भूमि के 0.02 ए0 से अनावेदक को वेदखल करने के संबंध में संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार क समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर विधिवत कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा दिनांक 4.8.04 को आदेश पारित कर अनावेदक को वेदखल करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के इस वेदखली आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के समक्ष अपील पेश की गयी जिसमें पारित आदेश दिनांक 12.7.06 से अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार के आदेश दिनांक 4.8.04को निरस्त करते हुए प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इस प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 12.7.06 के विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदक द्वारा आयुक्त रीवा के	

समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां पर अपील को ग्राह्यता के बिन्दु पर ही आदेश दिनांक 13.9.06 से यह उल्लेख करते हुए कि "अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है ऐसी स्थिति में अपील का ग्राह्य करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रस्तुत अपील को अग्राह्य कर दिया गया। आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 13.9.06 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से इस तथ्य पर बल दिया गया कि अनावेदक को यदि सीमांकन की कार्यवाही से कोई आपत्ति थी तो उसे सीमांकन आदेश दिनांक 29.07.2000 को चुनौती सक्षम न्यायालय में दी जाना चाहिए थी जहां पर अनावेदक सीमांकन की कार्यवाही के पुष्टि के संबंध में की गयी सुनवाई में स्वयं उपस्थित थे, किन्तु अनावेदक द्वारा सीमांकन की पुष्टि आदेश के संबंध में किसी प्रकार की कोई अपील/निगरानी आदि की कार्यवाही लम्बी अवधि तक नहीं की गयी ऐसी स्थिति मे सीमांकन कार्यवाही अतिम हो गयी और ऐसी अंतिम कार्यवाही के अनुकम में आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 की कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष की गयी थी जिसमें पारित आदेश द्वारा अनावदक को वेदखल करने का आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया, जो उचित था जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में गंभीर कानूनी भूल की गयी है इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.7.06 को ग्राह्यता के स्तर पर ही स्थिर रखा जा कर अपील को अग्राह्य करने में आयुक्त

रीवा द्वारा भी त्रुटि की गयी है जो निरस्त किए जाने योग्य है इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित न करते हुए उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में प्रमुखता से यह तथ्य उठाया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका 50–60 वर्ष से कब्जा है जिस पर उसका मकान बना हुआ है और जहां मकान बना होता है वहां पर संहिता की धारा 250 आकर्षित नहीं होती है इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बादग्रस्त भूमि पर कई तरह के बृक्ष लगे हुए है जो अनावेदक के कब्जे में हैं। इसके अतिरिक्त उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष व्यक्त किए गये थे जो अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया न जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.7.06 में यह अंकित करते हुए कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को चाहिए था कि वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में विधिवत सीमांकन आदि की कार्यवाही पूर्ण कराकर बेदखली का आदेश पारित करते किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और तहसीलदार का, बेदखली आदेश दिनांक 4.8.04 निरस्त

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रामनिवास उर्मिलिया विरूद्ध मालकन्द देव	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कर प्रकरण विधिवत सुनवाई कर कार्यवाही करने हेतु तहसीलार को प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश को आयुक्त रीवा द्वारा ग्राह्यता के स्तर पर ही बिना अभिलेखों का परिशीलन किए द्वितीय अपील को अग्राह्य कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय तहसीलदार के न्यायालयीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत सीमांकन उपरांत अपने आदेश दिनांक 29.7.2000 को उभयपक्ष को सुना जाकर सीमांकन कार्यवाही का पुष्टि आदेश जारी किया गया है और इस सीमांकन कार्यवाही के काफी लम्बे अंतराल के बाद संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में बेदखली का आदेश जारी किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना अभिलेख का परिशीलन किए यह अंकित कर कि "तहसीलदार को विधिवत सीमांकन की कार्यवाही करने बाद ही वेदखली आदेश जारी किया जाना चाहिए था"। को निरस्त करने में गंभीर भूल की गयी है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12.7.06 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है वही ग्राह्यता के स्तर पर ही बिना सुनवाई एवं अभिलेख परिशीलन के आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.9.06 भी स्थिर रखे जाने योग्य नही है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी विचारयोग्य है कि तहसीलदार द्वारा किए गये सीमांकन की पुष्टि आदेश दिनांक 29.7.2000 को भी अनावेदक द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाना अभिलेख में नहीं पाया गया ऐसी स्थिति में उक्त सीमांकन आदेश अंतिम हो जाता हैं। वही अनावेदक यह सिद्ध करने में भी असफल रहा है कि विवादित भूमि पर उसका मकान बना हुआ है और विभिन्न प्रजाति के

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रामनिवास उर्मिलिया विरूद्ध मालकन्द देव	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

5

बृक्ष लगे हुए है। उपरोक्त तथ्यो को विवेचना में न लेकर उनको अनदेखा कर जारी किए गये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त रीवा के विवादित आदेश दिनांक 12.7.06 एवं आदेश दिनांक 13.9.06 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किए जाते हैं। निगरानी स्वीरकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे । प्रकरण दा.रि. हो।

सदस्य